Phone Number: 01376234964; Fax: 01376 234964; Mobile: 9412077006 E-mail (office): gpgcollegentt@gmail.com; Email (NAAC): gpgcollegentt@gmail.com; Email (NAAC): gpgcollegentt@gmail.com;

BOOKLET OF CODE OF CONDUCT(S) FOR TEACHERS AND NON TEACHING STAFF

उत्तरांचल शासन कार्भिक अनुमाग-2

संख्या 1473 A:/ कार्मिक-2/2002. देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

अधिसूचना / प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 308 के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तरांचल के श्री राज्यपाल, राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियमायली बनाते हैं:-

उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

1—संक्षिप्त नाम-

यह नियमावली उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आवरण नियमावली, 2002 कहलायेगी। 2-परिभाषाएं-

जब तंक प्रसंग से अन्य कोई अर्थ अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) 'सरकार' से ताल्पर्य उत्तरांचल सरकार से हैं।

(ख) "सरकारी कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे लोक सेवक से हैं, जो उत्तराचल राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किन्हीं

लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण—िकसी बात के होते हुए भी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी का बेतन उत्तरांचल की संचित निधि से अन्य साधनों से आहरित किया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिनकी सेवायें, उत्तरांचल सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कांचारी के संबंध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित

ोगे -

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की, चाहे, वह उसके साथ रहता/ रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सबंघ में. उसके साथ रहने बाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई मी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मधारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो:

किन्तु इसके उन्तर्गत ऐसी पत्नी या पित सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथान की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (Custody) से सरकारी कर्मचारी की, विधि द्वारा विचत कर दिया गया हो।

3-सामान्य-

(1) प्रत्येक सरकारी कर्गचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए आत्यतिक रूप से सत्यनिष्ठता तथा कर्त्तव्यपरायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए उसके व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (Implied) शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करना होगा।

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन सत्पीड़न का प्रतिषेध-

1-कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर: उसके यौन उत्पीखन के किसी कार्य में संक्षिप गरी होगा।

2-प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रमारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के धीन उत्पीदन को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

(310)



स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए "यौन उत्पीडन" में, प्रत्यहातः या अन्यष्या कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोमनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि-

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टायें.

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना-प्रेरित फब्तियां.

(घ) किसी कामोत्तेजेक कार्य/व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोमनीय शारीरिक, मौखिक या सांवितिक आचरण। (4) कोई सरकारी कर्मचारी घरेलू कार्य में सहायता के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवायोजित नहीं करेगा।

-सभी लोगों के साथ समान व्यवहार—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सभी जाति, पंथ (Sect) या धर्म के लोगों के साथ रामान व्यवहार करना होगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

4-क-मादक पान तथा औषधि का सेवन-

कोई सरकारी कर्मचारी-

(क) किसी क्षेत्र में, जहां वह तत्समय विद्यमान हो, मादक पान अथवा मादक औषधि संबंधी प्रवृत्त किसी विधि का

0

(ख) अपने कर्त्तव्यपालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रमावाधीन नहीं होगा और इस वात का सम्यक् घ्यान रखेगा कि किसी मी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी मी ऐसे पेय या मेवज के प्रमाव से प्रभावित नहीं होता है:

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पान अथवा औषघि के सेवन से अपने को दिरत रखेगा;

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा;

(ङ) किसी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा। स्पष्टीकरण-एक-इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किशी ऐसे स्थान या परिसर (जिसमें कोई सवारी वाहन भी सम्मिलित है) से हैं, जहां भुगतान अथवा अन्य प्रकार से जनता को आने-जाने की अनुजा हो।

स्पष्टीकरण-दो-कोई क्लब जहां-

(क) सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुगति देता है; अथवा

(ख) जिसके सदस्यों को उसमें अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुजा हो, मले ही सदस्यता सरकारी कर्नचारियों के लिए ही सीमित हो। स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहां पर जनता आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।

गजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे संबंध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहिया करने की प्रवृत्ति पैदा करती 吉1

उदाहरण

राज्य में 'क', 'ख', 'ग' राजनीतिक दल हैं। 'क' वह दल है जो सत्ता में है और जिसने तत्समय सरकार बनाई है। 'अ' एक सरकारी कर्मचारी है।

यह उप-नियम 'अ' पर सभी दलों के संबंध में, जिसमें के दल भी, जो कि सत्ता में है, सहित प्रतिबेध करेगा। (2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को. किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया (Activity) में, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्यंसक है या उसके प्रति घ्वंसक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलनं या क्रिया में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो यह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास मेज

उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है।

"'अ' एक 'परिवार का सबस्य' है, जैसी कि **उसकी परिमा**षा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

'आ' वह आन्योलन या विया है, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वसक है या उसके प्रति ध्वंसंक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

'क' को विवित्त हो जाता है कि इसं उप नियम के उपनन्त्रों के अन्तर्गत, 'आ' के साथ 'ख' का सम्पर्क आपत्तिजनक है। 'क' को बाहिए कि यह 'ख' के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि क', ख के ऐसे सम्पर्क को शैकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए।

- (3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम की परिधि में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार हार। दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) के चुनाव में, न तो मतार्थन (Canvassing) करेगा न ग्रन्थथा उसमें हस्तदोप करेगा, और न उसके संबंध में अपने प्रमाव का प्रयोग करेगा और न उरागें भाग लेगा :

परन्त-

- (1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे युनाव में बोट डालने का अधिकारी है, बोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह बोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है. थार इस बारा का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना बोट डालने का विचार किया है अर्थवा किस दंग से उसने अपना तीट डाला है।
- (2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्त्तय के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संवालन में मदद करता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस छप नियम के उपबन्धों का उल्लंधन किया है।

स्पष्टीकरण-किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाडी या निवास-स्थान पर, किसी: चुनाव चिन्ह (Electoral symbol) के प्रदर्शन के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाय के संबंध में अपने प्रमाव का प्रयोग किया है।

उदाहरण

किसी चुनाव के संबंध में, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या गतदान क्लर्क, की हैसियत से कार्य करना उप नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंधन नहीं होगा।

5-क-प्रदर्शन तथा हरताले--

कोई सरकारी कर्मचारी-

- (1) कोई प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, जो भारत की प्रमुता तथा अखंडता के हितों पर प्रतिकृत प्रमाव डालने, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्धजनिक राय्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो अथवा अपराध करने तो लिए उत्तेजना मिलती हो, अथवा
- (2) स्वयं या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के संबंध में न तो कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिए प्रेरित करेगा।

5-ख-सरकारी कर्मचारियों का संघों (Association) का सदस्य बनना-

कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य-कलाप भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हिता या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकृत हो।

-समाचार पत्रों (Press) या रेडियो से सम्बन्ध रखना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो. किसी समाचार-पत्र या अन्य नियत्तकालिक प्रकाशन (Periodical publication) का पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा, न उसके सम्पादन या प्रबन्ध में माग लेगा।

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सदभाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में माग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और छदम्नाम से, अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका का कोई पत्र नहीं लिखेगा :

परन्तु उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्य, क्रवाहमक या वैज्ञानिक हो. किसी ऐसे स्वीकृत पत्र (Broadcast) के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

-सरकार की आलोचना-

कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या छदम्नाम से, या स्वयं अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख्य में या समाचार-पत्रों को मेजे गये किसी एव में, या किसी सार्वजनिक कथन (Public utterance) में, कोई ऐसी तथ्य की बात (Statement of fact) या मत व्यक्त नाहीं करेगान

- (1) जिसका प्रमाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकृत आलोचना हो या उत्तराचल सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकृत आलोचना हो; अथवा
- (2) जिससे उत्तरांचल सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो; अथवा
- (3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में जलझन पैदा हो सकती। हो :

परन्तु इस नियम में व्यक्त कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण

- (1) 'क' को, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख' को, जो कि एक दूसरा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से (Publicly) यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण है।
- (2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन क से स्टेशन ख को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त लोक अधिकारी को स्टेशन क पर ही बनाए रखने से संबंधित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।
- (3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजिंगक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि।
- (4) कोई सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।
- (5) एक पड़ोसी राज्य उत्तरांचल की सीमा पर स्थित किसी मू-खण्ड के संबंध में दावा करता है, कि वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के संबंध में, सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

- (6) फिसी सरकारी कार्गशरी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करें कि उसने उन शियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों (Nationals) को देता था।
- 8-किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साह्य-
 - (1) उप नियम (3) के उपमन्धित शिति के अतिरिक्ता, कोई सरकारी कर्मधारी, सिवाय उस दशा के जबिक उसने सरकार की पूर्व स्थीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी होरा रांचालित किसी जांच के संबंध में साक्य नहीं होगा।
 - (2) उस वशा भें, जबकि उप नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार से साक्ष्य देते समय, उत्तरांचल रारकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।
 - (3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के संबंध में लागू न होगी :--
 - (क) साक्य, जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तरांचल की विधान समा या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने थी गई हो. अथवा
 - (ख) साक्य, जो किसी न्यायिक (Judicial) जांच में दी गयी हो।

9-सूचना का अनिधकृत संचार-

कोई सरकारी कंर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्त्तव्यों का संग्र्भाव के शाथ (In good faith) पालन करते हुए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख्य या सूचना किसी सरकारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख्य या सूचना देने या संघार करने का ससे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गये अम्यावेदन में किसी पत्रायली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अन्धिकृत संचार माना जायेगा।

10-चन्दे- अन्त्राक्षणाः (४००)

कोई सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे घमार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीथ सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में मांग लें सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा, आदि मांगे।

उदाहरण

कोई भी सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना जनता के उपयोग के लिए किसी नलकूप (Tubewell) के बेघन के लिए या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा नहीं कर संकता

11-42-

कोई सरकारी कर्मचारी, शिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो-

- (क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट—सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः यो अप्रत्यक्षतः कोई मेंट, अनुग्रह—धन, पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या
- (ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, कोई मेंट, अनुग्रह, घन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा :

(314

परन्तु वह किसी जातीय मित्र (Personal friend) से सरकारी कर्मचारी के मूलवेतन का दसारा या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे "स्वीकार करने की अनुमित दे सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिए जाने को भी रोकने का मरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कस्त्रे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि 'क' को, जो एक सब मण्डलीय अधिकारी है, बाद के दौरान उसके द्वारा की गई सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी मेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के दसांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, 'क' उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

क-कोई सरकारी सेवक-

- (1) न तो दहेज देगा और न लेगा और न उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और
- (2) नं, यथास्थिति, वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1861) में इसके लिये दिया गया है।

-सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने राम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी समा या सार्वजनिक आमोद में लगस्थित होगा :

परन्तु इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होंगी, जो सारतः (Substantially) निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्गचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने (Retirement) या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण

'क', जो डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा मोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

J-असरकारी व्यापार या नौकरी-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में माग नहीं लेगा और न ही कोई रोजगार करेगा :

प्रन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या घमार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकरिमक (Occasional) कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्त्तव्यों में कोई अडचन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि दह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को, इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा। विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं से मिन्न रचनाओं के प्रकाशन की दशा में, पुस्तकें लिखने तथा प्रकाशित करने और उनके लिये स्वामित्व (Royalty) स्वीकार करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी:

-) पुस्तक पर सरकार की मुद्रणानुक्कष्ति (Imprimatur) अकित न हो।
- (2) पुस्तक के प्रथम पृथ्ठ पर लेखक का नाम बिना उसके सरकारी पवनाम के दिया गया हो, किन्तु पुस्तक के विश्वावरण (Dust-cover) पर जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, सरकारी पदनाम देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (3) लेखन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अध्या किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर अपने नाम से यह उल्लेख कर दे कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणयों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है और पुस्तक के प्रकाशन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (4) लेखक को यह बात भी सुनिश्चित करनी चाहिये कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत सबंधी कोई ऐसा कथन नहीं है जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकृत आलोचना की गई है।
- (5) सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय पर एकमुश्त धनराशि अथवा लगातार प्राप्त होने वाली धनराशि दोनों ही रूप में स्वामित्व (Royalty) स्वीकार करने की अनुमित दी जा सकती है, किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि यदि—
- (क) (1) पुस्तक केवल नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है. अथवा
- (2) पुस्तक केवल सरकारी नियमों, विनियमों या कार्यविधियों का संकलन मात्र है.

तो लेखक (सरकारी कर्मचारी) से, जब तक कि राज्यपाल विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दें, इस बात की अपेक्षा की जायेगी कि वह आय का एक-तिहाई सामान्य राजस्व के खाते में उस दशा में जमा करे जब कि साय 2500 रुठ से अधिक हो या यदि वह आवर्तक रूप में प्राप्त होने वाली है तो 2500 रुठ वार्षिक से अधिक हो।

- (ख) (1) पुस्तक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है. किन्तु वह सरकारी नियमों, विनियमों और कार्यविधियों का संग्रह मात्र नहीं है वरन सम्बन्धित विषय पर लेखक के विद्वतापूर्ण अध्ययन को प्रकट करती है, अथवा
- (2) रघना के लेखक के सरकारी पद से न तो कोई सम्बन्ध है और न होने की सम्मावना है.

तो पुस्तक की विक्री की आय या स्वामित्व (Royalty) से उसके द्वारा आर्वतक या अनावर्तक रूप में प्राप्त आय को कोई माग सामान्य राजस्व के खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2—यह भी निश्चित किया गया है कि उत्तरांचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 13 के अधीन सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं के प्रकाशन के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिनमें उनके सरकारी कार्य से सहायता नहीं ली गई है और प्रतिशत के आधार पर स्वामित्व (Royalty) स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। किन्तु सरकारी कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रकाशनों में उन शर्तों का कढ़ाई से पालन किया गया है जिनका उन्लेख कपर प्रस्तर—1 में किया गया है और उनसे सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के उपबन्धों का उल्लेख नहीं होता है।

3-किन्तु सन सभी दशाओं में सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जानी ब्राहिये जिनमें लगातार स्वामित्व (Royalty) प्राप्त करने को प्रस्ताव हो। इस प्रकार की अनुमति देते समय रचना के पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियत किये जाने और ऐसी दशा में सरकारी पद के दुरुपयोग होने की सम्मावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

14-कम्पनियों का निबन्धन, प्रवर्तन (Promotion) तथा प्रबन्ध-

कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में माग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज एक्ट, 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निबद्ध हुआ है:

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1812 (एक्ट संठ 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइग्रीज रिजर्ट्रशन एवट, 1860 (एक्ट सं0-24 1862) के अधीन नियद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइग्रीज रिजर्ट्रशन एवट, 1860 (एक्ट सं0-21, 1880) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यक, वैद्यानिक या प्रमार्थ समिति के जिल्लाम समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में माग ले सकता है :

CALL DE LE SERVICE EN LA SERVICE DE LA SERVI

और भी परन्तु यदि कोई सरकारी कर्गचारी किसी सहकारी समिति के प्रशिनिधि के कार में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय (Body) में उपस्थित हो तो उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिए भाग ले सकता है।

15-बीमा करबार-

कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1912 (एक्ट संठ 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1880 (एक्ट संठ 21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

16-अवयस्कों (Minors) को संरक्षकत्व (Guardianship)-

क्सेई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क (Minor) के शरीय या सम्य के विधिक संरक्षण (Legal guardian) के रूप में कार्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-1-इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित (Dependant) से तात्पर्र किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों से है. और इसके अन्तर्गत उसके जनक (Parents), बहिनें, माई. भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे. यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हो।

स्पष्टीकरण-2-इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) यही होगा. जैसा कि नीचे दिया गया है:-

विमागाध्यक्ष, डिवीजन के

कमिश्नर या कलेक्टर के लिए

राज्य सरकार

जिला जज के लिए

ः उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जर्ज

अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए: संबंधित विभागाध्यक्ष।

17-किसी संबंधी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही-

- (1) जब कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका संबंधी हो, चाहे वह संबंध दूर या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह अत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नहीं है . और यदि वह उसका ऐसा संबंधी है, तो इस संबंध का स्वरूप क्या है?
- (2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आझा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मंत या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है. और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में है, जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध तूर अधवा निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रमाव पड़ता हो या अन्यथा. वह कोई निर्णय नहीं देगा. बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा संबंध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

ं (1) कोई सरकारी का

(Investment) में सद्दा नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण-अपुत ही आरब्द अर्थ त्यां की सत्ता (Habitual) खरीद या बिक्री के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह एस नियम के अब्द अपी हुई पूजियों में सददा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न एसता है कि कोई प्रतिभृति या लगी हुई पूंजी, उप नियम (1) में निर्दिग्ट स्वरूप की है अध्या नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19-लगाई हुई पूजियां-

- (1) कोई राएकारी कंगवारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी संयस्य को लगाने देगा। जिससे उसके सरकारी कर्त्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रमाव पढ़ने की संभावना हो।
- (2) यदि कोई प्रश्न उत्तता है कि कोई प्रतिभृति या लगी हुई पूंची उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अतिग होगा।

चवाहरण

कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई सिनेमागृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीवने की अनुमति नहीं देगा।

20-उघार देना और उधार लेगा-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो. किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के मीतर, कोई मूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रुपया उद्यार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उद्यार देगाः

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, किसी असरकारी नौकर को अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या संबंधी) उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के मीतर कोई मूमि रखता है, वह अपने किसी जातीय मित्र या संबंधी को, बिना स्थाज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई मी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहाकरी समिति या अच्छी साख वाली फर्म के साथ साधारण व्याप्तार के में अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के मीतर, रुपया उद्यार लेगा, और न अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय बंधन (Pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाये, और न वह सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। अपने परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमित देगाः

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, किसी जातीय मित्र (Personal friend) या राबंधी से. अपने दो माई के मूल वेतन या उससे कम भूल्य का बिना ब्याज वाला एक छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (Bona-fide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।

- (3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या स्थानान्तरण पर मेजा जाय जिसमें उसके द्वारा उप नियम (1) या उप नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंधन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उवल परिस्थितियों की रिपोर्ट मेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दें।
- (4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी राज्य सरकार होगी और, दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

A STATE OF THE PERSON OF THE P

ग-दिवालिया और अभ्यारी ऋणग्रस्तता (Habitual indebtedness)-

सरकारी कर्मचारी, अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ब्रहणप्रस्तता से या दिवालिया होंने से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध उसके विद्यालिया होने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिए कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विमाग के अध्यक्ष को; जिसमें वह

थ-चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्थयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या मेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अवल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा :

परन्तु किसी ऐसे व्यवहार के लिये. जो किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त (Reputed) व्यापारी से मिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो. संगुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण

क', जो एक सरकारी कर्मचारी हैं. एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुधित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव को सूचना दे देनी चाहिये। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त व्यापारी से मिल व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो 'क' को चाहिए कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब 'क' अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक मास के वेतन अथवा 5:000 रुठ, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य की किसी चल सम्प्रित के सबंध में क्रय-विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरन्त समुचित प्राधिकारी को करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, इस प्रकार का बोर्ड व्यवहार नहीं करेगा।

चदाहरण

- (i) क', जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन छः सौ अपया है और वह सात सौ रुपये का टेप रिकार्डर खरीदता है, या
- (ii) 'ख' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन दो हजार रूपया है और पन्द्रह सौ रूपये में मोटर बेचता है.

किसी भी दशा में 'क' या 'ख' को इस मामले की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को अवश्य करनी चाहिये। यदि व्यवहार किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी से मिन्न प्रकार से किया जाता है तो उसे संगुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक प्राप्त कर लेनी चाहिये।

- (3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य रूप से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वाभी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पदटा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी, या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे व्योरे दिये जाने चाहिये।
- (4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के मीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आदेश में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरणपत्र प्रस्तुत करे। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण पत्र में जन साधनों (Means) के या उस तरीके (Source) के व्योरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी। . (319)

- ंा समुचित प्राधिका
- (क) राज्य सेवा से. .. निमित्त, राज्य सरकार तहा.

.घारी के प्रसंग भें, उप नियम (1) तथा (4) के प्रयोजनों के

(हा) अन्य सरकारी कांचारियों के प्रसन तप नियम (1) से (4) तक के प्रयोजनों के निमित्त, विमागाध्यक्ष

23-सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन (Vindication)-

कोई सरकारी कर्मचारी शिवाय उस दशा में जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, के प्रति— समर्थन करने के लिये, किसी समाचार-पत्र की शरण नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम की किसी बात के रांड'न में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी सरकारी कर्मचारी की, अपने जातीय चरित्र का या उसके द्वारा निजी रूप है किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिपेध किया जाता है।

24-असरकारी या अन्य वाह्य प्रमाव (Outside influence) का मतार्थन-

कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साध्यारें से न तो स्वयं और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रमाव डालेगा या प्रमाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण-सरकारी कर्मचारी की यथास्थिति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अन्तर्गत हो, के संबंध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय, यह माना जायेगा कि वह कार्य राग्वन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया है।

उदाहरण

के, एक सरकारी कर्मचारी है और ख. कि के कुटुम्ब का एक सदस्य है, म एक राजनीतिक दल है और म के अन्तर्गत च एक संगठन है। ख ने म में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली और घ में एक पदाधिकारी हो गया। घ के द्वारा ख ने क की बात का समर्थन करना प्रारम्म किया यहां तक कि ख ने क के उच्च डो गया। घ के द्वारा ख ने क की बात का समर्थन करना प्रारम्म किया यहां तक कि ख ने क के उच्च उद्याधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। ख का यह कार्य उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह क की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि क यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

24-क-"सरकारी सेवको द्वारा अम्यावेदन-

कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करें व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अन्यावेदन नहीं करेगा। नियम 24 का स्पष्टीकरण इस नियम पर मी लागू होगा।"

25-अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएं-

कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वितीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में किसी एक को या दोनों ही अनाधिकृत रूप से या तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (Implied) उपबन्धों के विरुद्ध किसी प्रकार का लाम हो।

उदाहरण

(1) 'क', किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप से पदोन्नित पाने का अधिकारी है। 'क' को इस बात का मरोसा नहीं है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्त्तव्यों का संतोषजनक रूप से निवंहन कर सकता है। 'ख' जो एक जूनियर तलके है, कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर 'क' को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तद्नुसार 'क' और 'ख' वित्तीय व्यवस्था करते हैं। दोनो ही इस प्रकार नियम खण्डित करते हैं।

(320)

(2) यदि के, जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाय, तो ख, जो कार्यालय का सबसे सीनिगर असिस्टेन्ट है, स्थानापना रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, ख के साथ, स्थानापना मते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात् छुट्टी पर जाय, तो क और ख दोनो ही नियम खण्डित करेंग।

११-बहु-विवाह-

- (1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, तत्सगर लागू किसी स्वीय विधि को अधीन किसी नात के होते हुए भी राज्य सरकार की पूर्व अनुभित के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा;
- (2) कोई महिला सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

27-सुख-सुविघाओं का समुचित प्रयोग-

कोई सरकारी सेवक लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा उसे प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग अथवा असावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेगा।

उदाहरण.

सरकारी कर्मचारियों के निमित्त जिन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती हैं, उनमें मॉटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर: अर्दली, लेखन-सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मितित है। इन वस्सुओं के दुरुपयोग के अथवा उनके असावधानी पूर्वक प्रयोग किये जाने के उदाहरण निम्न हैं :-

- (1) सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी-व्यय पर, सरकारी वाहनों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिये उनका प्रयोग करना,
- (2) ऐसे मामलों में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नहीं है, सरकारी व्यथ पर, टेलीफोन, ट्रककाल करना,
- (3) सरकारी निवास—स्थानो और फर्नीचर के प्रति उपेक्षा बरतना तथा समुचित रूप से रक्षा करने में असफल रहना, और
- (4) असरकारी कार्य के लिये सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

28-खरीदारियों के लिये मूल्य देना-

कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक कि किस्तों में मूल्य देना प्रथानुसार (Customary) या विशेष कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक कि किसी वास्तविक (Bona fide) व्यापारी के पास उसका उधार—लेखा कप से उपविच्यत न हो या जब तक कि किसी वास्तविक (Bona fide) व्यापारी के पास उसका उधार—लेखा (Credit account) खुला न हो, उन वस्तुओं का जिन्हें उसने खरीदा हो, या ऐसी खरीदारिया उसने दौरे पर या अन्यथा की हो, शीघ और पूर्ण मूल्य देना रोके नहीं रखेगा।

29 बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना-

कोई सरकारी कर्मचारी, बिना यथोचित और पर्याप्त मूल्य दिये बिना किसी ऐसी सेवा या आमोद (Entertainment) का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण

जब तक ऐसा करना कर्त्तव्य के एक मात्र के रूप में निर्घारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी-

- (1) किसी भी किराये पर चलने वाली वाहन में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा,
- (2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा शो नहीं देखेगा।

30-दूसरों की सवारी वाहन प्रयोग में लाना÷

कोई सरकारी कर्मचारी, बिना विशेष परिस्थितियों में, किसी ऐसी सवारी वाहन को प्रयोग नहीं करेगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो, जो उसके अधीन हो। कर्मचारियों के जारें। खरीदारियां-

काई सरकारी कर्मवारी, देनी ऐसे सरकारी कर्मचारी से,जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य रादस्य की और से, चाहे अग्रिम मुगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में. खरीदारियां करने के लिये न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो तराके राष्ट्र रहा हो, कहने की अनुमित देगाः

परन्तु यह नियम चन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिये सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्नकोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाय।

उदाहरण

क, एक डिप्टी कलेक्टर है।

to be a dead to

'ख'. उक्त डिप्टी कलेक्टर के अधीन एक तहसीलदार है।

'क' को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह 'ख' से कहे कि वह उसके लिये कपड़ा खरीदवा दे।

32-निर्वचन (Interpretation)-

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे सरकार को सन्दर्भित करना होगा तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

33-निरसन (Repeal) तथा अपवाद (Saving)-

इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई मी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तरांचल प्रदेश की सरकार के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये

किन्तु प्रतिबन्ध गह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या जाते हैं की गई किसी कार्यवाही के सबंघ में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपवन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।

आलोक कुमार जैन,

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1473 A/Karmic-2/2002, dated November 22, 2002 for general information !

No. 1473 A/Karmic-2/2002 Dated Dehradun, November 22, 2002

NOTIFICATION/MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal makes the following rules to regulate the conduct of Government servants employed in connexion with the affairs of the State :--

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS' CONDUCT RULES, 2002

1. Short title--

These rules may be called the Uttaranchal Government Servants' Conduct Rules, 2002.

In these rules unless the context otherwise requires--

(a) "Government" means the Government of Uttaranchal: